



पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के बाद सोमवार को जयपुर लौट आये। पायलट की हैदराबाद में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ राजस्थान विधानसभा चुनाव के संबंध में गहन चर्चा हुई। पायलट 20 सितम्बर से ही पुनः अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक में आयोजित कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे।

सचिन पायलट ऐतिहासिक सी.डब्ल्यू.सी. बैठक के बाद लौटे राजस्थान

वापसी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं व आम लोगों ने सचिन पायलट का शानदार स्वागत किया

जयपुर, 18 सितम्बर। कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था, सी.डब्ल्यू.सी., की हैदराबाद में हुई 2 दिवसीय बैठक के बाद सचिन पायलट मंगलवार शाम को राजस्थान वापस लौट आए हैं। इस दौरान सचिन पायलट को आगामी तेलंगाना चुनाव के लिए पार्टी के हाई कमान द्वारा प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। सोमवार को सचिन पायलट ने नामपल्ली विधान सभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए जन संपर्क तथा प्रचार भी किया।

- सचिन पायलट को तेलंगाना में कांग्रेस के प्रचार की कमान सौंपी गई।
- दो दिवसीय बैठक में पायलट ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी व के.सी. वेणुगोपाल व अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात की।
- हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी संगठन ने पायलट का स्वागत किया।

पायलट की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी,

खड़गे और राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर आयेंगे

दोनों नेता कांग्रेस के नये बनने वाले प्रदेश मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे

जयपुर, 18 सितम्बर (का.प्र.)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी 23 सितंबर को जयपुर आयेंगे और राजस्थान कांग्रेस के नए मुख्यालय का शिलान्यास करेंगे।

मुख्यालय के शिलान्यास के बाद राजस्थान कांग्रेस की सभा के साथ कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम भी तय किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए राजस्थान कांग्रेस अपने चुनावी अभियान को शुरूआत भी करेगी। इस सभा के जरिए कांग्रेस के बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारियों को चुनावी टास्क दिए जाएंगे।

राजस्थान कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के लिए 55 हजार पदाधिकारियों को बुलाया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के 52 हजार बूथ अध्यक्षों, 2200 मंडल अध्यक्षों, 400 ब्लॉक अध्यक्षों, 40 जिलाध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों को इस सभा में बुलाया गया है। कार्यक्रम की तैयारी देखने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष

इस वर्ष ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) और प्रतिभूति लेन-देन कर सहित व्यक्तिगत आयकर (पी.आई.टी.) 447291 करोड़ रुपये रहा है। इस अवधि में प्रत्यक्ष कर का सकल संग्रह 9,87,061 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.34,469 करोड़ रुपये की तुलना में 18.29 प्रतिशत अधिक है।

कांग्रेस का चतुर दांव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) इतिहास का उल्लेख किया तथा कांग्रेस शासन के दौरान लाई गई उन 20 प्रमुख योजनाओं का उल्लेख किया, जिन्होंने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने कांग्रेस द्वारा लाये गये सभी प्रमुख कानूनों के उल्लेख के साथ ही, दासता-उन्मूलन का उल्लेख किया। खड़गे ने कहा, "नेहरू जी का मानना था कि मजबूत विपक्ष की गौरवमयी की अर्थ है कि, सिस्टम में उल्लेखनीय कमियाँ एवं खामियाँ हैं। अगर सशक्त विपक्ष नहीं है, तो यह अच्छी बात नहीं है। अब, जब सशक्त विपक्ष है तो इसे ई.डी., सी.बी.आई. -- के जरिये कमजोर करने पर फोकस किया जा रहा है।" जवाहर लाल नेहरू तथा राष्ट्र-निर्माण में उनके योगदान को याद करते हुये, कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "नेहरू जी ने बड़े

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को 23 सितंबर को नए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के भवन के शिलान्यास का निर्माण दिया गया है। शिलान्यास के बाद सभा रखी गई है। हमारे बूथ अध्यक्षों से लेकर सभी पदाधिकारियों को बुलाया है। सरकार से हमने नए भवन के लिए जमीन आवंटित करवाई है। सभी औपचारिकताएँ पूरी कर दी गई हैं। मानसरोवर में शिप्रा पथ पर नए सिटी पार्क के सामने पीसीसी की बिल्डिंग बनेगी। कांग्रेस मुख्यालय बनाने के लिए 6000 वर्ग गज जमीन अलॉट हो चुकी है। नए मुख्यालय के प्रोजेक्ट पर करीब 80 करोड़ की लागत आएगी। प्रदेश

अन्नाद्रमुक ने तमिलनाडू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) अन्नामलाई पर बरसते हुए उन्होंने कहा, "वे अहंकारी हैं। दोनों के बीच गठबंधन नहीं है। इसका निर्णय चुनाव के समय ही हो सकता है। अचानक वे हमारे नेताओं की आलोचना कर रहे हैं, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने यह मामला भाजपा हाई कमान के सामने भी उठाया, उसके बावजूद वे ऐसा कर रहे हैं तो भाजपा की जानकारी से ही हो रहा है।" 11 सितम्बर को हिंदू रिलिजस एंड चैरिटेबल एन्डऑर्गेनाइजिंग मंत्री पी.के. शेखरबाबू ने यहां सनातन धर्म हटाओ सम्मेलन का नेतृत्व किया था तब अन्नामलाई ने अन्नादुराई के खिलाफ बयान दिया था।

संविधान समय में भारत का नेतृत्व किया।

वे भारत की आजादी की खातिर 14 वर्ष जेल में रहे। नये संसद भवन में पहुंच जाने मात्र से, कुछ नया नहीं हो जायेगा।" पार्टी इस पूरे मुद्दे पर बहुत सतर्कतापूर्ण तरीका अपनाये। भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की कि, 2021 की जनगणना प्रक्रिया को तुरंत आरंभ किया जाय, जिसमें जाति आधारित जनगणना भी हो। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि, जनगणना करवाने में विलंब के कारण 14 करोड़ लोग भोजन का अधिकार कानून से वंचित हैं और लगभग 18 प्रतिशत लोग मनरेगा के दायरे से बाहर हैं। इसके साथ ही महिला मतदाताओं

प्रियंका गांधी, के सी वेणुगोपाल एवं पार्टी के अन्य शीर्ष नेतृत्व के सदस्यों से हुई। इन बैठकों में आगामी राजस्थान चुनाव और लोक सभा चुनाव से संबंधित एहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हैदराबाद यात्रा के दौरान, पायलट को वहां पर स्थित, प्रवासी राजस्थान संगठन, ने भी सम्मानित किया और उनसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सचिन पायलट 20 सितंबर को अपनी विधान सभा क्षेत्र, टोंक में आयोजित कार्यक्रमों में कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे।

झारखण्ड के मु. मंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने कथित अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) के समन को चुनौती देने वाली झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका सोमवार को खारिज करते हुए उन्हें झारखंड उच्च न्यायालय दरवाजा खटखटाने को कहा।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी को पीठ ने सोरेन के वकील मुकुल रोहतगी से कहा कि वो राहत के लिए पहले उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करें। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति बोस ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा, आप (सोरेन) उच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते? पहले आप वहां जाएं।

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि, आज यह पुराने भवन में आखिरी दिन है। कल से हम नए संसद भवन में शिफ्ट होंगे और नई शुरूआत होगी। लेकिन यह भवन हमारे लिए साक्षी विरासत रहा है और तमाम प्रेरक पल यहां से जुड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान भावुक भी नजर आए और कहा कि इसी संसद भवन से हमारी तमाम यादें भी जुड़ी हैं, जो झकझोर देती हैं। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा का भी इस दौरान जिक्र किया और कहा कि प्लेटफॉर्म पर रहने वाला एक शख्स संसद तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के विरोध

मोदी मंत्रिमण्डल ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया

संसद सत्र में विधेयक सदन में पेश किया जायेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को आज शाम मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमवार को केंद्र की कैबिनेट बैठक हुई। संसद के एनेक्सी भवन में हुई यह बैठक करीब डेढ़ घंटे चली। इस बैठक के दौरान महिला आरक्षण बिल कैबिनेट से पास हो गया। केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि की। अपने ट्वीट में प्रहलाद पटेल ने लिखा कि महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया।

- केंद्र सरकार ने सोमवार शाम तक संसद सत्र का एजेण्डा गुप्त रखा था, शुरू से ही यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि, प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे देश की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन हो जायेगा।
- केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्वीट करके महिला आरक्षण विधेयक के संबंध में पुष्टि की। अपने ट्वीट में प्रहलाद पटेल ने लिखा कि, महिला आरक्षण की मांग पूरा करने का नैतिक साहस मोदी सरकार में ही था, जो कैबिनेट की मंजूरी से साबित हो गया।

रमेश ने कहा कि विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती थी और परदे के पीछे की राजनीति के बजाय आम सहमति बनाई जा सकती थी। जयराम रमेश ने अपने एक पुराने पोस्ट का हवाला दिया, जिसमें महिला आरक्षण विधेयक की पृष्ठभूमि का हवाला दिया गया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले राजीव गांधी ने 1989 के मई महीने में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। वह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया था, लेकिन सितंबर 1989 में राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। रमेश के अनुसार, अप्रैल 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण के लिए संविधान संशोधन विधेयक को फिर से पेश किया था। दोनों विधेयक

पारित हुए और कानून बन गए। आज पंचायतों और नगर निकायों में 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं। यह आंकड़ा 40 प्रतिशत के आसपास है। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा में पेश/पारित किए गए विधेयक समाप्त नहीं होते हैं। इसलिए महिला आरक्षण विधेयक अभी भी मौजूद है। कांग्रेस पार्टी पिछले नौ साल से मांग कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक, जो पहले ही राज्यसभा से पारित हो चुका है, उसे लोकसभा से भी पारित कराया जाना चाहिए। गौरलंब है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान भी महिला आरक्षण को लेकर चर्चा हुई थी वहीं, कांग्रेस ने लोकसभा में मंगलवार को महिला आरक्षण विधेयक पेश करने और इसे सर्वसम्मति से पारित कराने की सत्ता पक्ष से मांग की थी। वहीं, कैबिनेट मीटिंग को लेकर खूब कयासबाजी चल रही थी। अनुमान लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट मीटिंग में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा कर

सकती है। वहीं, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना कि वन नेशन, वन इलेक्शन पर बात होने की उम्मीद है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही तरफ से महिला आरक्षण बिल को लेकर जोर दिया जा रहा था। इसलिए सबसे ज्यादा अनुमान इसी को लेकर था। सोमवार को संसद के विशेष सत्र के संबोधन के दौरान भी पी.एम. मोदी ने इस बारे में संकेत दिए थे। उन्होंने कहा कि संसदीय इतिहास के प्रारंभ से अब तक दोनों सदनों में कुल मिलाकर लगभग 7500 सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया है जिनमें करीब 600 महिला सदस्य रही हैं। उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे महिला सदस्यों की संख्या बढ़ती गयी है। माना जा रहा था कि यह महिला आरक्षण का संकेत है।

पहली बार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) भाषण में उन्होंने कहा, नेहरू के 'ट्रिस्ट विद डैस्टिनी' भाषण की गुंज भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। नेहरू ने, 15 अगस्त 1947 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि, "आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता में अॉखें खोलेंगा।" मोदी ने कहा, "आज भारत की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा को याद करने का अवसर है। हम भले ही नई इमारत में शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन यह भवन आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि यह भारतीय प्रजातंत्र की यात्रा का "स्वर्णिम अध्याय" है।

जे.डी.एस. सांसद को राहत

नई दिल्ली, 18 सितंबर (वार्ता)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेव्ना को संसद सदस्यता रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति के.ए.बालु और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को पीठ ने इस मामले में संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय के एक सितंबर के आदेश पर रोक लगाने का आदेश पारित किया।

केरल और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) उपस्थिति नाममात्र की है। लेकिन बड़ा खतरा यह है कि, इससे गठबंधन के अन्य घटकदल बड़ी संदेबाजी करने के लिये तथा अपनी क्षमता से बढकर दावेदारी करने के लिये प्रेरित - प्रोत्साहित हो सकते हैं। अरविन्द केजरीवाल की "आप" तथा कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में सीट-शेयरिंग के मामले में पहले से ही परस्पर उलझ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी तथा पंजाब में कांग्रेस की राज्य इकाइयों के नेता पार्टी नेतृत्व के सीट-शेयरिंग व्यवस्था की अवहेलना करने सलाह दे रहे हैं। साफ जाहिर है कि, इस प्रकार की घटनाओं से भाजपा को पूरा मौका मिल जायेगा, नवगठित विपक्षी गठबंधन में एकता के अभाव की आलोचना करने का। लेकिन, जैसा कि इंडिया गठबंधन के नेता घोषणा कर चुके हैं, वे, जहाँ तक संभव होगा, वन-टु-वन की लड़ाई ही रखना चाहेंगे।

सूत्रों ने कहा कि, उन राज्यों में, जहाँ कांग्रेस, भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंद्वी है, सहमति/समझौते तक पहुंचने की कोशिश की जायेगी। इन राज्यों में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, हरियाणा तथा हिमालचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।

चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने के विधेयक से सरकार ने हाथ पीछे खींचे

नई दिल्ली, 18 सितम्बर। चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाले विधेयक को सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से हटा लिया है। सरकार ने रविवार को जिन 8 बिलों के बारे में विपक्ष को जानकारी दी है, उनमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव करने वाला बिल शामिल नहीं है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में संशोधन वाले बिल में कुछ बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब नए सिरे से बदलाव किए जाने के बाद ही बिल को सदन में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। दरअसल यह चर्चा थी कि सरकार

- चुनाव आयुक्तों का दर्जा घटाने और उनकी नियुक्ति वाले पैनल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने वाले विधेयक को सरकार ने संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से हटा लिया है।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में बदलाव वाला बिल इसी सेशन में पेश करेगी। इसके तहत आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज के दर्जे की बजाय कैबिनेट सचिव वाली हैसियत दी जानी थी। इसका तीखा विरोध हो रहा था। विपक्ष इसे चुनाव आयोग की स्वायत्तता से समझौता बता रहा था। को वहीं 9 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने पी.एम. मोदी को खुत भी लिखा था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अब सरकार खुद अपने स्तर पर भी बदलाव

की जरूरत महसूस कर रही है। इसीलिए बिल को कुछ वक्त के इंतजार और संशोधन के बाद ही पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर सबसे बड़ा अपत्ति यह भी है कि आखिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से चीफ जस्टिस को क्यों हटाया जा रहा है। मौजूदा नियमों के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल का चीफ जस्टिस भी हिस्सा होते हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च में आदेश दिया था।

'प्लेटफॉर्म पर रहने वाला एक शख्स संसद तक पहुंच गया'

- प्रधानमंत्री मोदी पुराने संसद भवन में अपने आखिरी संबोधन के दौरान बेहद भावुक हो गये।
- प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में शोर-शराबे और वॉकआउट के संबंध में विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुये कहा कि, रोने-धोने के लिए बहुत समय पड़ा है, संसद सत्र बहुत छोटा है, इसे उपयोगी बनायें।

की आशंकाओं को धामने के लिए कुछ ऐसी बातें कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, संसद सत्र बहुत छोटा है इसे उपयोगी बनायें, रोने-धोने के लिए बहुत समय पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब मैं

पहली बार सांसद के रूप में इस भवन में आया, तो सफल रूप से मैंने इस संसद भवन की पटल पर अपना सिर झुकाकर आया था, इस लोकतंत्र में परिवर्तन में श्रद्धाभाव से मैंने कदम रखा था। भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि रेल